उत्तराखण्ड वधान सभा के वशेष सत्र में भारत के माननीय राष्ट्रपति का अभभाषण

देहरादून, उत्तराखण्ड : **18** मई, **2015**

उत्तराखंड वधान सभा के इस वशेष सत्र में, इस सुंदर राजधानी नगरी देहरादून में उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मुझे आज आपके बीच यहां आने के लए आमंत्रित करने हेतु मैं उत्तराखण्ड वधान सभा के माननीय अध्यक्ष, श्री गो वंद कुंजवाल को धन्यवाद देता हूं।

उत्तराखण्ड का उल्लेख 'देवभू म' अर्थात् देवताओं के निवास के रूप में कया गया है। हिमालय पर्वत शृंखलाओं की तलहटी में बसा हुआ यह प्रदेश न केवल बर्फ से ढके हुए पर्वतों की भू म है वरन् हमारी सबसे पावन नदियों गंगा और यमुना का भी उद्गम स्थल है। साथ ही, इस राज्य के निवा सयों की सादगी, गर्मजोशी तथा सेवा-सत्कार पूरे देश में सुप्र सद्ध है।

उत्तराखण्ड की सरहद भारत के दो सबसे महत्त्वपूर्ण पड़ो सयों से लगी हुई है। आपके उत्तर-पूर्व में चीन स्थित है, वहीं द क्षण-पूर्व में नेपाल है। हाल ही में, नेपाल को एक के बाद एक कई भूकंपों की त्रासदी झेलनी पड़ी है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर वनाश हुआ तथा जनहानि हुई। मैं इस अवसर पर नेपाल के अपने उन भाइयों और बहनों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस त्रासदी में अपनी जानें गंवा दी। भारत सरकार हर संभव मदद दे रही है तथा हमने

नेपाल की सरकार तथा जनता को आश्वस्त कया है क संकट की इस घड़ी में हम उनके साथ हैं।

माननीय सदस्यगण,

माना जाता है क उत्तराखण्ड के पहाड़ देवताओं का पसंदीदा निवास स्थान है। यह कहा जाता है क महान ऋ ष वेदव्यास ने यहां महाभारत लखी थी तथा गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम देहरादून के नजदीक स्थित था। यह माना जाता है क पांडव अपनी अंतिम यात्रा की ओर जाते हुए उत्तराखण्ड में रुके थे। जगद्गुरु आदि शंकराचार्य **8**वीं सदी में केदारनाथ आए थे और कुछ लोग मानते हैं क उन्होंने यहां निर्वाण प्राप्त कया था। स्वामी ववेकानंद द्वारा स्था पत सु वख्यात अद्वैत आश्रम इस राज्य के चंपावत जिले के मायावती नामक स्थान पर है।

भारत के सर्वा धक पावन तीर्थस्थलों में से कुछ उत्तराखण्ड में स्थित हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ सहित चारधाम यात्रा की चाह अ धकांश भारतीयों के हृदय में होती है। दुनिया भर से लोग हरिद्वार आकर हर की पौड़ी के प वत्र जल में डुबकी लगाते हैं। श्री हेमकुंत साहिब तथा पीरान कलीयर भी इसी राज्य में स्थित हैं, जहां भारत और वदेशों से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं। प्र सद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लए एक मार्ग भी उत्तराखण्ड से होकर निकलता है।

2013 की प्राकृतिक आपदा के बाद राज्य के पुनर्निर्माण के लए आपके द्वारा कए गए प्रयासों के लए मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा। यह देखकर आश्वस्ति होती है क इस वर्ष चार धाम यात्रा समय से शुरू हुई है तथा बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग ले रहे

हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है क वधान सभा ने इस बात पर वचार-वमर्श करने में एकजुटता दिखाई है क प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए।

माननीय सदस्यगण,

वर्ष **2000** में उदित उत्तराखण्ड ने भारतीय संघ का **27**वां राज्य बनने के बाद से महत्त्वपूर्ण प्रगति की है।

उत्तराखण्ड सतत् वकास के प्रयासों में अग्रणी रहा है। वनों के संरक्षण की दिशा में देश के पहले प्रयास के रूप में कार्बेट अभयारण्य **1936** में इसी क्षेत्र में बनाया गया था। यह न केवल देश में वरन् संपूर्ण ए शया में अपनी तरह का पहला पार्क था। वश्व प्र सद्ध 'चपको आंदोलन' की शुरुआत चमोली जिले के सुदूरवर्ती गांव रैनी की एक साधारण ग्रामीण महिला गौरा देवी ने की थी। बाद में इस आंदोलन में श्री सुंदरलाल बहुगुणा तथा दूसरे पर्यावरण वदों के नेतृत्व में तेजी आई।

लोक प्रय चपको गीत का संदेश–

"जमीन है हमारी, जल है हमारा, जंगल है हमारा, हमारे पूर्वजों ने उन्हें रोपा है, अब हमें ही उनकी रक्षा करनी होगी।"

कसी भी व्यक्ति के दिल को आह्लादित कर देगा।

सामुदायिक सहभा गता से राज्य के वनों के काफी बड़े हिस्से का प्रबंधन करने वाली **12000** वन पंचायतें देश में अनोखी संस्था बन चुकी है। उत्तराखंड को अपने अस्तित्व के पछले **10** वर्षों के दौरान वनक्षेत्र में **1100** वर्ग क.मी. से अ धक वृ द्ध करने का श्रेय जाता है।

उत्तराखण्ड में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के प्रतिशत में सफलतापूर्वक कमी लाते हुए उसे वर्ष **2004-05** में **32.7** प्रतिशत से घटाकर वर्ष **2012** में **11.3** प्रतिशत तक लाया गया है। राज्य में **99** प्रतिशत गांवों में अब बिजली पहुंच चुकी है। उत्तराखण्ड की वा र्षक वृ द्ध दर **10** प्रतिशत रही है। परंतु यह वृ द्ध एकसमान नहीं रही है तथा मैं समझता हूं क पहाड़ी क्षेत्र इसमें पछड़े रहे हैं।

मुझे यह जानकर खुशी हो रही है क यह राज्य चमोली जिले में स्थित गैरसेण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाना चाहता है, तथा नए वधान सभा भवन का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा शासन में सुधार के लए उठाए गए ई-कोष, भू-अ भलेखों का कंप्यूटरीकरण, जन-सेवाओं की ऑनलाइन सुपुर्दगी, ऑनलाइन शकायत निवारण व्यवस्था जैसे कदमों का लोगों द्वारा निश्चय ही स्वागत होगा। मैं, कागज रहित वधायिका की दिशा में इस वधान द्वारा शुरू की गई हरित पहलों तथा प्र क्रया के कंप्यूटरीकरण की भी सराहना करना चाहूंगा।

पर्वतीय तथा जंगली भू-भाग जैसी भौतिक तथा भौगो लक बाधाओं पर वजय पाते हुए बढ़-चढ़कर लोकतांत्रिक प्र क्रया में भाग लेने के लए मैं, उत्तराखण्ड की जनता को बधाई देता हूं। वधान सभा के चुनावों में मतदान के प्रतिशत में भी निरंतर सुधार हुआ, जो वर्ष **2002** के वधान सभा चुनावों में **54.34** प्रतिशत से बढ़कर **2012** के चुनावों में **67.22** प्रतिशत हो गया है। इसके अलावा, तीनों चुनावों में सत्ता में बदलाव

हुआ है। कसी भी जीवंत लोकतंत्र की कसौटी यह है क उसमें बदलाव का आधार मत बनते हैं।

माननीय वधान सभा सदस्यगण,

हमारे गणतंत्र के संस्थापक यह मानते थे क हमारी प्रकृति तथा स्वभाव के लए संसदीय प्रणाली सबसे अ धक उपयुक्त है। सं वधान प्रारूपण स मति के अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर ने कहा था :

"संयुक्त राज्य अमरीका में जैसी गैर-संसदीय प्रणाली मौजूद है उसमें कार्यपा लका के उत्तरदायित्व का आकलन आव धक होता है। यह मतदाताओं द्वारा कया जाता है। इंग्लैंड में, जहां संसदीय प्रणाली प्रभावी है, कार्यपा लका के उत्तरदायित्वों का आकलन दैनिक तथा आव धक दोनों तरह से होता है। दैनिक आकलन संसद (आपके यहां वधान सभा) के सदस्यों द्वारा प्रश्नों, संकल्पों, अ वश्वास प्रस्तावों, स्थगन प्रस्तावों तथा अ भभाषण पर परिचर्चाओं के माध्यम से होता है। आव धक आकलन मतदाताओं द्वारा चुनावों के समय कया जाता है, जो हर पांचवें साल अथवा उससे पहले हो सकते हैं। यह माना जाता है क उत्तरदायित्वों का दैनिक आकलन, जो अमरीकी प्रणाली के तहत उपलब्ध नहीं है, आव धक आकलन से कहीं अ धक कारगर है तथा भारत जैसे देश में वह और भी अ धक जरूरी है। कार्यपा लका की संसदीय प्रणाली की सफारिश करते हुए सं वधान के प्रारूप में अ धक उत्तरदायित्व को अ धक स्थाईत्व पर प्राथ मकता दी गई है।"

भारत जैसे आकार तथा व वधताओं से परिपूर्ण देश का शासन चलाना तथा क्षेत्र, भाषा, नस्ल, जाति और धर्म के कारण सामने आने वाली चुनौतियों से निपटना एक असाधारण कार्य है। परंतु हमारे देश में

लोकतांत्रिक प्रणाली ने गहरी पकड़ बना ली है तथा हमने अब तक संसद के निचले सदन के सोलह आम चुनाव तथा अपनी वधान सभाओं और स्थानीय निकायों के असंख्य चुनाव सफलतापूर्वक करवाए हैं। हमारे संसदीय लोकतंत्र को आज पूरी दुनिया में वस्मय और प्रशंसा के साथ देखा जाता है।

माननीय वधान सभा सदस्यगण,

भारत के सं वधान में वधान सभा को राज्य में शासन के केंद्र में रखा गया तथा उसे सुशासन तथा सामाजिक-आ र्थक बदलाव का प्राथ मक उपकरण माना गया है। एक वधायक का कार्य **24×7** उत्तरदायित्व लए हुए होता है। वधायकों को हर समय जनता की समस्या के समाधान के लए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। उन्हें जनता की शकायतों को वधायिका के समक्ष उठाकर उनकी आवाज बनना चाहिए तथा जनता और सरकार के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्हें यह बात सदैव याद रखनी चाहिए क युवा तथा महत्वाकांक्षी भारतीय उनसे सेवा प्रदाता बनने की अपेक्षा रखते हैं। पांच वर्ष के अंत में वे यह हिसाब मांगेंगे क उन्होंने कस तरह अपना दायित्व निभाया। हममें से प्रत्येक व्यक्ति, जो भी चुने गए पदों पर हैं, को यह याद रखना चाहिए क जनता हमारी मा लक है। हममें से हर एक ने, यहां पहुंचने के लए मत मांगे हैं तथा उनका समर्थन प्राप्त कया है।

संसदीय प्रणाली के प्रभावी संचालन का बुनियादी सद्धांत है क बहुमत शासन करेगा तथा अल्पमत वरोध करेगा, खुलासा करेगा तथा यदि संभव हो तो अपदस्थ करेगा। तथा प, अल्पमत को बहुमत का

निर्णय स्वीकार करना चाहिए और बहुमत को अल्पमत के वचारों का सम्मान करना चाहिए।

वधान सभा में, सदैव अनुशासन एवं शालीनता बनाए रखनी चाहिए तथा नियमों परंपराओं और शष्टाचार का पालन होना चाहिए। संसदीय परंपराओं, प्र क्रयाओं तथा परिपाटियों का उद्देश्य सदन में सुव्यवस्थित तथा तेजी से कार्य संचालन की व्यवस्था करना है। असहमति को शालीनता से तथा संसदीय व्यवस्थाओं की सीमाओं और मापदंडों के तहत व्यक्त कया जाना चाहिए। लोकतंत्र में परिचर्चा, असहमति तथा निर्णय का स्थान होना चाहिए 'व्यवधान' का नहीं।

यह खेदजनक है क पूरे देश में वधायकों द्वारा व ध निर्माण पर लगाया जाने वाला समय धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। अध्यक्षों के सम्मेलनों में बार-बार इस बात पर जोर दिया गया है क हर वर्ष कम से कम **100** दिन बैठकें आयोजित होनी चाहिए। प्रशासन की बढ़ती जटिलताओं के मद्देनजर कानून पारित करने से पूर्व पर्याप्त परिचर्चा तथा जांच होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह अपे क्षत परिणाम देने में असमर्थ रहेगा अथवा अपने उद्देश्यों पर पूरा नहीं उतरेगा। खासकर, व ध निर्माण, धन तथा वत्त के मामलों में अत्य धक सतर्कता बरतने की जरूरत है। यह याद रखा जाना चाहिए क वधायिका के अनुमोदन के बिना कार्यपा लका न तो कोई व्यय कर सकती है न ही कोई कर लगा सकती है और न ही राज्य की समे कत नि ध से धन ही निकाल सकती है।

यह संतोष की बात है क मौजूदा सोलहवीं लोक सभा पूरी गंभीरता से अपनी भू मका तथा उत्तरदायित्वों को निभा रही है। सोलहवीं लोक

सभा ने अभी तक **90** दिन बैठकें की हैं तथा **55** सरकारी वधेयक पारित कए हैं। **24** वधेयक हाल ही में संपन्न चतुर्थ सत्र में पारित हुए हैं। इसके साथ ही**,** सदन तात्का लक सरकारी कार्य पूरा करने के लए चतुर्थ सत्र के दौरान **55** घंटे और **19** मनट तक देरी तक बैठा। यह दु:ख की बात है क व्यवधानों और जबरन् स्थगन के कारण **7** घंटे और **04** मनट बरबाद हुए। शुक्र है क यह समय पछले बहुत से सत्रों से कम है।

मैं यह भी बताना चाहूंगा क इस लोक सभा की एक उल्लेखनीय वशेषता यह है क इसमें **318** सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं तथा गुणवत्तापूर्ण बहस और परिचर्चा पर लगने वाला समय काफी बढ़ा है। मुझे इस बात की वशेष प्रसन्नता है क भारत और बांग्लादेश के बीच जमीनी सरहद पर करार को संसद के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पारित कया। इस वधेयक पर सर्वसम्मत मतदान से बांग्लादेश को मैत्री का एक मजबूत संदेश गया है तथा इसने दुनिया को दिखा दिया क भारत राष्ट्रीय हितों के मामले में एकजुट है।

मैं उत्तराखण्ड वधान सभा तथा अन्य वधान सभाओं से आग्रह करता हूं क वे बैठकों की संख्या बढ़ाने पर वचार करें ता क राज्य के मसलों पर गंभीरता से परिचर्चा और बहस हो सके। जनता को वधान मंडलों के और करीब लाने के लए मैं यह सुझाव दूंगा क जनता को वधायिका की कार्यप्रणा लयों से परि चत कराने के लए हमारी वधान सभाओं को संग्रहालय स्था पत करने चाहिए। वे सत्रों का अवलोकन करने के लए छात्रों को आमंत्रित कर सकते हैं तथा ग्राम सभाओं और

पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों के सदस्यों के लए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं।

माननीय सदस्यगण,

प्रत्येक वधायक को यह सुनिश्चित करना चाहिए क सदनों में होने वाली बहसों की वषयवस्तु और गुणवत्ता का स्तर सर्वोत्तम हो। व भन्न राजनीतिक दलों के सदस्य के रूप में हर एक वधायक अपने-अपने दलों की नीतियों से निर्दे शत होंगे। परंतु वकास और जनता के कल्याण के मुद्दे राजनीतिक अवरोधों से परे होते हैं। इस तरह के मुद्दों पर सर्वसम्मति बनाना कठिन नहीं होना चाहिए।

कसी भी संसदीय लोकतंत्र में, वधायिका का निगरानी संबंधी कार्य महत्त्वपूर्ण और गतिशील होता है। वधायी निगरानी, स मतियों और सदन के पटल पर की जाने वाली एक निरंतर प्र क्रया है। लोक लेखा स मति, प्राक्कलन स मति तथा वभागीय स्थायी स मति जैसी स मतियों में वधायकों की भागीदारी से उन्हें सरकारी वभागों के जटिल कामकाज में वशेषज्ञता प्राप्त करने में मदद मल सकती है।

प्रश्नकाल, प्रश्न पूछने तथा कार्यपा लका को उसके कृत्यों अथवा अकृत्यों के लए जवाबदेह ठहराने और संबं धत मंत्रालयों से आश्वासन प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान करता है। यह वधायकों का एक महत्वपूर्ण वशेषा धकार है तथा उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए क प्रश्नकाल का पूर्णत: उपयोग कया जाए।

मैं इस बात पर बल देने के लए एक दृष्टांत का उल्लेख करना चाहूंगा। श्री एस. सत्यमूर्ति, जो एक वकील और श्रेष्ठ वक्ता थे, **1923**

में मद्रास वधान परिषद के सदस्य बने और एक वधायक के रूप में उनकी प्र स द्ध तेजी से पूरे देश में फैल गई। उन्होंने प्रश्नकाल में अपनी धाक जमाई और प्रश्न पूछने की कला में महारत हा सल की। 'उन्हें प्रश्नकाल के आतंक' के रूप में जाना जाता था। अपने जोरदार और प्रभावी भाषणों ने उन्हें 'ट्रम्पेट वॉयस' नाम प्रदान कया। जब मद्रास वधान परिषद के चुनावों का समय आया तो गांधी जी ने कहा था क वधान सभा में सत्यमूर्ति को भेजना ही काफी है। **1935** से **1939** तक केंद्रीय वधान सभा के सदस्य के रूप में श्री सत्यमूर्ति की सफलता पर गांधीजी ने टिप्पणी की थी क यदि हमारी वधान मंडलों में दस सत्यमूर्ति होते तो अंग्रेज बहुत पहले भाग चुके होते।

माननीय सदस्यगण,

मैंने नवम्बर **2013** में, सुंदर राज्य अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की थी और मुझे बताया गया था क इस राज्य की *केबांग* और *बु लयांग* नामक पारंपरिक जनजातीय परिषद के नेता अपनी बैठक की शुरुआत में ये पंक्तियां दोहराया करते थे:-

'ग्रामीणो और भाइयो, आइए हम अपने रीति-रिवाज और अपनी परिषद को सुदृढ़ बनाएं, आइए हम अपने संबंधों को सुधारें, आइए हम कानूनों को सभी के लए स्पष्ट और समान बनाएं, हमारे कानून सभी पर समान रूप से लागू हों, हमारे रीति-रिवाज सभी के लए समान हों, हम बु द्ध से निर्दे शत हों और यह सुनिश्चित करें क न्याय कया गया है और ऐसा सुलह करवाई गई है जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य है। आइए हम ववाद के शुरू होते ही उसे निपटाएं, कहीं छोटा ववाद बढ़कर और लंबे समय तक न चले। हम परिषद की बैठक के लए एकत्रित हुए हैं

और हम एकमत होकर बोलें तथा अपना निर्णय लें। इस लए, आइए निर्णय लें और न्याय प्रदान करें।'

आधुनिक काल के वधायकों को जनजातीय बुजुर्गों की इस बु द्धमतापूर्ण सलाह से सीख लेनी चाहिए।

माननीय सदस्यगण,

उत्तराखण्ड वधान सभा ने वर्षों के दौरान अनेक प्रगतिशील कानूनों के माध्यम से राज्य की जनता के कल्याण को बढ़ावा दिया है। अब राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में नेतृत्व प्रद र्शत करने का समय आ गया है। उत्तराखण्ड के पास पर्यटन के प्रमुख स्थल और बागवानी के महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में वक सत होने के लए सभी आवश्यक संसाधन मौजूद हैं। उत्तराखण्ड ज्ञान की परंपरागत पीठ रहा है। भारतीय सैन्य अकादमी, वन अनुसंधान संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय पेट्रो लयम संस्थान तथा गो वंद वल्लभ पंत कृ ष वश्व वद्यालय पहले से ही यहां स्थित हैं। इस राज्य की, देश के शक्षा, खेल और सूचना प्रौद्यो गकी केन्द्र के रूप में उभरने की बहुत संभावना है।

शक्षा ही वह मंत्र है जो हमारे राष्ट्र में बदलाव ला सकता है। मैं, आपमें से हर-एक से आग्रह करता हूं क आप अपने वधान सभा क्षेत्रों के स्कूलों और कॉलेजों के हालात का व्यक्तिगत रूप से जायजा लें और यह सुनिश्चित करें क वद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं तथा सर्वोत्तम शक्षा प्रदान की जा रही है। आप सभी नमा म गंगे कार्यक्रम और स्वच्छ भारत अ भयान से परि चत हैं। प वत्र नदियों के स्रोत तथा तीर्थयात्रियों के एक प्रमुख गंतव्य तथा शक्षा के महत्वपूर्ण

केंद्र होने के नाते इस राज्य को इन कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करनी चाहिए। स्वच्छ गंगा और स्वच्छ भारत के लक्ष्य को अपने हाथों में लें।

माननीय सदस्यगण,

देवताओं ने आपके राज्य तथा जनता को भरपूर सौंदर्य से नवाजा है। मुझे वश्वास है क आपके कठोर परिश्रम तथा दृढ़ निश्चय के परिणामस्वरूप राज्य के हर नागरिक का जीवन सुख और समृद्ध से परिपूर्ण होगा।

अंत में, मैं उत्तराखण्ड के सुप्र सद्ध क व, श्री सु मत्रा नंदन पंत की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा :

कोटि-कोटि हम श्रमजीवी सुत
सर्व एक मत, एक ध्येय रत,
जय भारत हे,
जाग्रत भारत हे।

धन्यवाद,

जय हिंद!